नागरिक शिकायत सूचना पत्र

Greenwich Township Police Department केसदस्य न्यायोचित, पर्भावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने केलिए पर्तिबद्ध हैं। यह सभी केसर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी केपर्दशनर् केबारे में आपकी शिकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघर्ता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच केलिए पुलिस विभाग केपास औपचारिक पर्कियाएँ हैं। इन पर्कियाओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों केअधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता सुनिश चत करने केलिए किया गया है:

1. गुमनाम सर्ोतों सहित किसी भी व्यिक्त से अधिकारी / कमचार्री केबारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।

2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म , लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या आवर्जन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।

3. आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों केलिए विशेष रूप से पर्शिक्षित अधिकारी केपास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उद्देश यपूर्ण जाँच करेंगे।

4. आपको घटना केबारे में विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने केलिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने केलिए कहा जा सकता है।

5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों केविरुद्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसकेअंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी पर्दान करते हैं। अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच केअंतिम परिणाम केबारे में आपको सूचित किया जाएगा, अथातर्:

    a. शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्कियर्ा; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्कियर्ा; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन किया है।

    b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।

    c. दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन; महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्कियर्ा; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्कियर्ा; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।

    d. शिकायत अवैध है: आरोप को स्पष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पयाप्तर् सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।

6. यदि हमारी जाँच यह दशातीर् है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।

7. यदि हमारी जाँच केपरिणामस्वरूप किसी अधिकारी पर विभाग केनियमों केउल्लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।

8. यदि हमारी जाँच दर्शा ती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।

9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात्मक सुनवाई जनता केलिए बंद रहेगी, जब तक कि पर्तिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।

10. आप मामले केबारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी पर्श्न केसाथ Lt. Dennis Cahillको(908) 454-1054 X-22 पर कॉल कर सकते हैं।